तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./149/2005/भरतपुर रघुनाथ वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य

उपस्थित

श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्रीमती सविता चौहान, उप राजकीय, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– .....

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत तहसीलदार बयाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–04–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार तहसीलदार ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 18–11–1983 व 09–4–1986 के अनुसरण में प्रश्नगत सिवायचक आराजी को नगर पालिका बयाना को हस्तान्तरित की है।

हस्तगत निगरानी विलम्ब से पेश किए जाने के क्रम में कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत प्रार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय कारणों के पेश किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभयपक्ष को सुना। प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये कारण समुचित व सद्भावी होने के कारण निगरानी प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रकरण को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बयाना ने अपने आदेश दिनांक 02–4–2003 द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 18–11–1983 व 09–4–1986 के अनुसरण में प्रश्नगत सिवायचक आराजी रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि को नगर पालिका बयाना को हस्तान्तरित की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./149/2005/भरतपुर रघुनाथ वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने प्रश्नगत निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की है। हमने निगरानी के संबंध में उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए आक्षेपित आदेश को त्रुटिपूर्ण होना बताया है। उनका कहना है कि प्रश्नगत आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। मामले में सहायक जिला कलक्टर बयाना ने आज्ञा दिनांक 02-5-1991 द्वारा प्रार्थीगण को विधिवत खातेदार घोषित किया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध पेश की गयी अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 28-2-2001 द्वारा खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर चुनौती नहीं दिए जाने के कारण उक्त निर्णय अन्तिम हो गया है। इस प्रकार प्रश्नगत आराजी को नगर पालिका में हस्तान्तरण किए जाने बाबत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैध है। यहीं नहीं तहसीलदार ने मामले में क्षेत्राधिकार से परे जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया है। उनका आगे कथन है कि प्रश्नगत आराजी के हस्तान्तरण की कार्यवाही में तहसीलदार ने प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। अतः मामले में उक्त कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। उनका तर्क है कि केवल सिवायचक भूमि का ही स्थानीय निकायों के पक्ष में सेटअपार्ट किया जा सकता है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार बयाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-4-2003 को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है। उपराजकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत निगरानी का विरोध करते हुए आक्षेपित आदेश को विधि सम्मत होना कहा है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./149/2005/भरतपुर रघुनाथ वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उनका कहना है कि प्रश्नगत आराजी राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के कारण ही नगर पालिका को हस्तान्तरित की गई है। यहीं नहीं हस्तान्तरण की कार्यवाही में नियमों की पूर्णरूपेण पालना की गई है। उनका तर्क है कि आक्षेपित आदेश विधि सम्मत तरीके से पारित किए जाने से प्रार्थीगण ने आलोच्य निगरानी में किन्हीं नवीन तथ्यों का समावेश नहीं किया है, इस कारण आलोच्य निगरानी सारहीन होना पायी जाती है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी खारिज कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी के गुणवगुण पर सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह निगरानी तहसीलदार बयाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–04–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आलोच्य आदेशानुसार तहसीलदार बयाना ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 18–11–1983 व 09–4–1986 के अनुसरण में प्रश्नगत सिवायचक आराजी को नगर पालिका बयाना को हस्तान्तरित की है। प्रस्तुत अभिलेख का समग्र विश्लेषण करने पर निम्नांकित बिन्दु परिभाषित होते हैः– 1. अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 24–2–1972 से प्रश्नगत आराजी को चरागाह भूमि से मुक्त किया है। 2. उक्त आदेश के अनुसरण में प्रार्थीगण ने प्रश्नगत आराजी की खातेदारी घोषणा का वाद सहायक जिला कलक्टर बयाना के समक्ष पेश किए जाने पर न्यायालय ने आज्ञा दिनांक 02–5–1991 द्वारा प्रार्थीगण को प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। उक्त डिक्री पालना में प्रार्थीगण के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./149/2005/भरतपुर रघुनाथ वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 267 दिनांक 03-19-1991 स्वीकार किया गया है। 3. मामले में सहायक जिला कलक्टर बयाना द्वारा पारित डिक्री दिनांक 02-5-1991 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने निर्णय दिनांक 28-2-2001 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्ध अन्य सक्षम न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा अपील नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त निर्णय अन्तिम हो गया। 4. प्रश्नगत आराजी बाबत प्रार्थीगण के खातेदारी अंकनों को निरस्त करने बाबत तहसीलदार बयाना ने अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष रेफरेंस प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर न्यायालय ने आदेश 18-6-2004 द्वारा आलोच्य प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के हक में स्वीकृत दाखिल संया 267 को निरस्त भूमि को पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज किए जाने बाबत मामले को राजस्व मण्डल को अनुशंषित किया है, जो कि वर्तमान में विचाराधीन चला आ रहा है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा संख्या 357 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा सिवायचक खाते की सरकारी भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। विवादित आराजी को सहायक जिला कलक्टर बयाना ने अवैध डिक्री पारित कर प्रार्थीगण को खातेदार घोषित कर नामान्तरकरण संख्या 267 स्वीकार किया है, जो कि अवैध एवं अनियमित है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है जो सरकारी खाते की सार्वजनिक उपयोग/उपभोग की भूमि है। सरकारी भूमि का नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत मामले में प्रश्नगत आराजी बाबत प्रार्थीगण को जो खातेदारी प्रदान की गई है, वह नियमों के विरूद्ध है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./149/2005/भरतपुर रघुनाथ वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नगर परिषद/नगरपालिकाओं की सीमा में स्थित राजकीय अनाधिवासित (सिवायचक) भूमियों को संबंधित नगर परिषद/नगरपालिकाओं को हस्तान्तरण किए जाने बाबत राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 18–11–1983 व 20–4–1961 जारी किए हैं। अतः राज्य सरकार की रीति–नीतियों एवं उक्त परिपत्रों की अनुपालना में मामले में तहसीलदार बयाना ने आदेश दिनांक 02–4–2003 पारित कर गैरमुमकिन एवं चरागाह भूमि के अतिरिक्त सिवायचक प्रश्नगत आराजी को नगर पालिका बयाना को हस्तान्तरित किया है। प्रकरण का उपलब्ध रेकार्ड एवं विधि की रोशनी में परीक्षण करने पर यह परिभाषित होता है कि मामले में तहसीलदार बयाना द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होना पाया जाता है। तदनुसार प्रस्तुत निगरानी स्वतः ही सारहीन होना पायी जाती है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा तहसीलदार बयाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–4–2003 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की सूचना उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर.मीणा)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./149/2005/भरतपुर रघुनाथ वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए